

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2018 (पौष 1, 1940)=
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22—DECEMBER 28, 2017 (PAUSA 1, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3=

[PART I—SECTION 3]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमावलियों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to the Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued
by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2018

दिनांक 23 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या 04/2017 एवं 24 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 03/2018 के लिए शुद्धि पत्र

सं. 5 [सं. 2(2)/2017/रक्षा(वायु-II)]—भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-3 में दिनांक 23 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 04/2017 और 24 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 03/2018 में पैरा (i) को निम्नवत पढ़ा जाएगा :—

के स्थान पर:

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचित करता है कि नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के अन्तर्गत इसके साथ संलग्न सूची के अनुसार रक्षा विमानपत्तनों / विमान क्षेत्रों पर आरसीएस उड़ानों पर अवतरण प्रभारों और पार्किंग प्रभारों (यदि लागू है) अथवा ऐसे पहलुओं के लिए सम्मिलित प्रभार के किसी अन्य प्रभार की भविष्य में वसूली नहीं करेगा।

पढ़ा जाए:

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचित करता है कि नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के अन्तर्गत इसके साथ संलग्न सूची के अनुसार रक्षा विमानपत्तनों / विमान क्षेत्रों पर आरसीएस उड़ानों पर अवतरण प्रभारों, ठहराव प्रभारों और पार्किंग प्रभारों (यदि लागू है) अथवा ऐसे पहलुओं के लिए सम्मिलित प्रभार के किसी अन्य प्रभार की भविष्य में वसूली नहीं करेगा।

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु में कोई परिवर्तन नहीं है।

संजय कुमार
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th November 2018

CORRIGENDUM TO THE NOTIFICATION NO. 04/2017 dated 23rd September, 2017
and No. 03/2018 dated 24th February, 2018

No. 5 [No. 2(2)/2017/D(Air-II)]—In the Notification of Government of India, Ministry of Defence published in the Gazette of India, Part-I, Section-3 No. 04/2017 dated 23rd September, 2017 and No. 03/2018 dated 24th February, 2018 para (i) shall be read as follows:

for:

Ministry of Defence, Government of India is pleased to notify that it shall not levy Landing Charges and Parking Charges (if applicable) or any other charge subsuming a charge for such aspects in future on RCS Flights at defence airports/airfields as per list enclosed herewith under the Regional Connectivity Scheme (RCS) of the Ministry of Civil Aviation, Government of India.

read:

Ministry of Defence, Government of India is pleased to notify that it shall not levy Landing Charges, Housing Charges and Parking Charges (if applicable) or any other charge subsuming a charge for such aspects in future on RCS Flights at defence airports/airfields as per list enclosed herewith under the Regional Connectivity Scheme (RCS) of the Ministry of Civil Aviation, Government of India.

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

SANJAY KUMAR
Under Secretary